# राज्य शासन के आदेश

## श्रम विभाग
## मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
## मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

**भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2014**

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2014, 4069 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, एतद द्वारा **"निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014"** अधिसूचित करता है –

**(क)** संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना, –(1) यह योजना **निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु/अपंगता की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014** कहलाएगी।

**(2)** यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी,

**(3)** यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) तहत मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 279 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी,

**(4)** यह योजना उन भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुए हैं, किंतु अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी नही है,

**(ख) परिभाषाएं –**

(1) **"अधिनियम"**–अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, (1996 का 27) अभिप्रेत हैं,

(2) **"बोर्ड"**– बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अभिप्रेत हैं,

(3) **"सचिव"** सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है,

(4) **"दुर्घटना"** दुर्घटना से तात्पर्य निर्माण कार्य के दौरान, निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है,

(5) परिवार से आशय दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक पर आश्रित निम्नानुसार रिश्तेदार से है :–

1. पत्नी अथवा पति यथा स्थिति अनुसार।
2. माता–पिता।
3. अविवाहित पुत्र।
4. अविवाहित पुत्री।
5. विधवा/परित्यक्ता पुत्री।

(6) परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन–उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओ से परिभाषित नही किये किंतु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित हैं,

(ग) योजना का विवरण– (1) प्रस्तावना– भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (ज) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो कि म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत वैध परिचय पत्रधारी नही है/पंजीकृत नही है की निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी।

(1) पात्रता– (1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे,

(2) उत्तराधिकारी– निर्माण श्रमिक का पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नही होने पर अविवाहित पुत्र तथा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उसके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सब के नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उस पर आश्रित हो उत्तराधिकारी होगा।

(3) अंत्येष्टि सहायता – निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात रू. 3000 अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी।

(4) अनुग्रह राशि– योजनांतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी :–

1. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख
2. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रू. 75 हजार

(5) आवेदन के साथ वांछित अभिलेख :–

1. एफ.आय.आर. एवं पंचनामे की प्रति।
2. मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण–पत्र।

उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जावे।

(6) मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे।

(7) **अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र** – अंत्येष्टि राशि तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थो के सेवन से हुयी मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुयी मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नही की जायेगी।

(9) **सक्षम अधिकारी** – अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति तथा अपील के लिये सक्षम अधिकारी निम्न सारणी अनुसार होंगे

**सारणी**

| सेवा क्र. | सेवाएं | पदाभिहित अधिकारी का पदनाम | सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा | प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम | प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा | द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना | **ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | 30 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर |
| | | **शहरी क्षेत्र** अ. आयुक्त, नगर निगम | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर | 30 कार्य दिवस | संभागायुक्त |
| | | ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद | 30 कार्य दिवस | अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर |
| 2. | अन्त्येष्टि सहायता | ग्राम पंचायत | अंतिम संस्कार के दिन | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | 7 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| | | **शहरी क्षेत्र–** अ. नगर निगम<br>ब. नगर पालिका/नगर परिषद | अंतिम संस्कार के दिन | अ. कलेक्टर<br>ब. अनुविभागीय | 7 कार्य दिवस<br>7 कार्य दिवस | संभागायुक्त<br>कलेक्टर |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अधिकारी, राजस्व | | |
| 3. | निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदाय करना | ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत | 30 कार्य दिवस | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | 30 कार्य दिवस | कलेक्टर |
| | | **शहरी क्षेत्र–**<br>**अ.** आयुक्त, नगर निगम<br>**ब.** मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद् | 30 कार्य दिवस<br>30 कार्यदिवस | अ. कलेक्टर<br>ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व | 30 कार्यदिवस<br>30 कार्य दिवस | संभागायुक्त<br>कलेक्टर |

**10) विसंगति का निराकरण** – योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमो के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में अध्यक्ष, म.प्र.भवन निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

**एस.एस.दीक्षित, सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग**

**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**

**भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2014**

अधिसूचना क्रमांक/4069– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, **खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

**(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,**– (1) यह योजना **खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं।

**(ख) परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है।

(6) परिवार के सदस्य से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित परिवार के निम्नानुसार सदस्य से है :–

1. पत्नि अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
2. अविवाहित पुत्र
3. अविवाहित पुत्री
4. विधवा/परित्यकता पुत्री

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

**(ग) योजना का विवरण** :– अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी। इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा।

**(घ) पात्रता** :– (i) हितलाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य को मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता होने पर अथवा किसी जिला स्तर/संभागीय स्तर/राज्यस्तरीय खेल में चयनित होने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

| | **श्रेणी – ए** | **श्रेणी – बी** |
|---|---|---|
| **स्तर** | **जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि** | **मण्डल द्वारा जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में विजेता होने पर प्रोत्साहन राशि** |
| **जिलास्तर पर** | **10,000/–** | **5,000/–** |
| **संभागीय स्तर पर** | **25,000/–** | **15,000/–** |
| **राज्य स्तर पर** | **50,000/–** | **30,000/–** |

(ii) उक्त प्रोत्साहन राशि प्रत्येक वर्ष के चयन पर पृथक–पृथक देय होगी।

**(च) योजना में हितलाभ का भुगतान** – श्रेणी–ए पुरूस्कार हेतु मान्यता प्राप्त खेल संस्था के माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला कीडा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नानुसार पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा। योजनांतर्गत पात्रता की जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

**पदाभिहित अधिकारी–**

**(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

**(ii) शहरी क्षेत्र हेतु** – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

(छ) श्रेणी–बी अंतर्गत मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता को प्रोत्साहन राशि आयोजक श्रम विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी।

**(ज) विसंगति का निवारण–** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

**एस.एस.दीक्षित, सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग**

**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**

**भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2014**

अधिसूचना क्रमांक/5069.– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, **व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,–** (1) यह योजना **व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं।

**(ख) परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है।

(6) परिवार से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार के निम्नानुसार आश्रित सदस्य से है :-

(i) पत्नि अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार),
(ii) अविवाहित पुत्र
(iii) अविवाहित पुत्री
(iv) विधवा/परित्यकता पुत्री

(7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

**(ग) योजना का विवरण एवं पोत्रता—**

1. न्यूनतम 3 वर्ष से निरंतर वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों के लिये व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु यह योजना होगी।
2. परीक्षार्थी द्वारा चयनित देश की किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि योजना की कंडिका ग-(5) में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप हो, में कोचिंग लेने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ देय होगा।
3. रू. 20,000 अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनो मे से जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
4. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लेना अनिवार्य है।
5. कोचिंग संस्थान
   (i) कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो।
   (ii) न्यूनतम 300 विधाथियों को कोचिंग प्रदान की गई हो।
   (iii) कम से कम 3 वर्षो से सेवा शुल्क (service tax) प्रदायकर्ता हो।

**(घ) योजना में हितलाभ का भुगतान –**

**(i)** निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जाएगा।

**(ii)** कोचिंग संस्थान जहां स्थित है वहा के स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

**(iii)** हितलाभ का भुगतान कोचिंग संस्थान के खाते में इलैक्ट्रानिक कैश ट्रांसफर पद्धति से किया जायेगा।

**(iv)** हितलाभ का भुगतान, हितग्राही द्वारा देय 25 प्रतिशत कोचिंग शुल्क के भुगतान की प्रमाणिक जानकारी देने पर किया जायेगा।

**(v)** यह अनुदान एक स्तर की प्रवेश परीक्षा के लिये अधिकतम दो बार देय होगा।

**(ङ) पदाभिहित अधिकारी–**

**(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

**(ii) शहरी क्षेत्र हेतु** – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

**(च) विसंगति का निवारण–** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

**एस.एस.दीक्षित, सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग**

**मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**

**भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2014**

अधिसूचना क्रमांक/४०६९– भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा, **औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना** मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है।

**(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना,–** (1) यह योजना **औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना** कहलाएगी।

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं।

**(ख) परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है।

(2) नियम का आशय म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ((नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

(5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है।

(6) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।

**(ग) योजना का विवरण** –

1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को निर्माण से संबंधित विभिन्न ट्रेडो जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर आदि के औजार किट खरीदी हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा।
2. 5 वर्ष में एक बार अनुदान टूल किट की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1500 रूपये, दोनो मे से जो कम हो, राशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जायेगी।
3. औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान न्यूनतम 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जायेगा।
4. टूल किट, निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं क्रय किया जाएगा।
5. टूल किट में ट्रेड विशेष के लिये आवश्यक समस्त औजार, जो म.प्र.व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एम.पी.सीवेट) द्वारा निर्धारित किये गये हों, सम्मिलित होना आवश्यक हैं।
6. क्रय के प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निर्माण श्रमिक को टूल किट की राशि का भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।

**(घ) पात्रता** :– तीन वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक योजनांतर्गत हितलाभ हेतु पात्र होंगे।

**(ङ) पदाभिहित अधिकारी**–

**(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु** – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
**(ii) शहरी क्षेत्र हेतु** – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

**(च) योजना में हितलाभ का भुगतान** – निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को कय के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, पात्रता संबंधी जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

**(छ) विसंगति का निवारण**– योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

**एस.एस.दीक्षित, सचिव**

---

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

**राजभवन,** भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-1-1-14-रा.स.-यू.ए.1-1200.—महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्र. 15, सन् 2008) की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रो. हरेकृष्णा सत्पथी,<br>कुलपति,<br>राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,<br>तिरुपति-517507 (आं. प्र.) | समिति के अध्यक्ष | कुलाधिपति द्वारा नामांकित |
| 2 | प्रो. व्ही. कुटुम्बा शास्त्री<br>कुलपति,<br>श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय,<br>वेरावल जिला जूनागढ़ (गुजरात). | समिति के सदस्य | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत |
| 3 | श्री शरद चन्द्र भाण्ड,<br>ई-1, एम. आई. जी.,<br>ऋषि नगर, उज्जैन. | समिति के सदस्य | कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित |

2. कुलाधिपति जी के द्वारा प्रो. हरेकृष्णा सत्पथी, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
**विनोद सेमवाल,** राज्यपाल के प्रमुख सचिव.